न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज.)
बईजलास डॉ. भँवर लाल, आई.ए.एस.

अपील सं. 41/2023

अपीलांट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
श्री नेमीचन्द पुत्र श्री रायचन्द जैन जाति जैन निवासी सिरोही रोड पिण्डवाडा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।		सरकार जरिए लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही।

अपील अन्तर्गत धारा 19 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

–::निर्णय::–

दिनांक : 18.09.2023

अपीलार्थी ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र दिनांक 17.04.2023 को प्रस्तुत कर पत्र में वर्णित तथ्यों पर मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई। अपीलार्थी की अपील दर्ज कर अपीलार्थी को वांछित सूचना नहीं दिए जाने के सम्बन्ध में लोक सूचना अधिकारी से जबाव तलब किया गया एवं अपीलार्थी को भी नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहते है तो दिनांक 18.09.2023 को उपस्थित होकर अपना पक्ष रख सकते है।

अपीलार्थी उपस्थित नहीं हुआ तथा लोक सूचना अधिकारी से जवाब प्राप्त किया गया। पत्रावली का भलीभांती अध्ययन किया गया एवं प्रकरण के समस्त तथ्यो पर गहनता से मनन करने पर निष्कर्ष इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही को दिनांक 17.04.2023 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर श्री कपूरचन्द द्वारा प्रस्तुत निगरानी संख्या 07/2008 में ग्राम पंचायत कालन्द्री द्वारा प्रागचन्दजी के नाम जारी पट्टा संख्या 31 दिनांक 26.08.1985 व ग्राम पंचायत कालन्दी द्वारा श्री धुकसिंह के नाम जारी पट्टा संख्या 56 दिनांक 03.11.1981 के भूमि के सम्बन्ध में खालसा भूमि, पंचायत की भूमि, ठिकाणा कालन्द्री की भूमि तथा रेवेन्यू भूमि होने के सम्बन्ध में ऐसा कोई कार्यालय आदेश निगरानी संख्या 07/2008 में प्रस्तुत किया गया हो तो उसकी प्रमाणित प्रति एवं श्री कपूरचन्द द्वारा निगरानी संख्या 07/2008 में ग्राम पंचायत कालन्द्री द्वारा प्रागचन्दजी के नाम जारी पट्टा संख्या 31 दिनांक 26.08.1985 व ग्राम पंचायत कालन्द्री द्वारा श्री धुकसिंह के नाम जारी पट्टा संख्या 56 दिनांक 03.11.1981 का प्रस्तुत वाद दिनांक 07.09.2007 को दर्ज नहीं होने से किस पट्टे अथवा किस आदेश के विरूद्ध पेश किया है, उक्त आदेश की प्रमाणित प्रति एवं श्री कपूरचन्द द्वारा पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा/97/1/राज. पंचायतीराज अधिनियम 1994 के तहत निगरानी प्रार्थना पत्र दिनांक 07.09.2007 को प्रस्तुत किया गया था, उक्त प्रार्थना पत्र के पीछे की गई रिपोर्ट के बिन्दु संख्या 4 व 6 के सम्बन्ध में निगरानीकर्ता द्वारा कोई दस्तावेज पेश किया गया हो तो उसकी प्रमाणित प्रति के सम्बन्ध में सूचना चाही गई थी। इस सम्बन्ध में लोक सूचना अधिकारी ने जरिए पत्रांक/लो.सू.अ./रेकर्ड/2023/1608 दिनांक 12.09.2023 के द्वारा जवाब पेश किया, जिसके द्वारा अवगत करवाया गया है कि अपीलार्थी

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

द्वारा वांछित सूचना कार्यालय के पूर्व पत्रांक पत्रांक/लो.सू.अ./रेकर्ड/2023/1591 दिनांक 06.09.2023 के माध्यम से विनिश्चय कर अपीलार्थी को सूचित किया गया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना प्रश्नात्मक, विवेचनात्मक प्रकृति की है, जिसके सम्बन्ध में उत्तर प्रेषित करने के लिए सूचना के सृजन की आवश्यकता होती है, जो अधिनियम में अनुमत नहीं है। अतः अपीलार्थी की अपील सारहीन होने से खारिज किए जाने योग्य है।

अतः लोक सूचना अधिकारी के द्वारा प्रस्तुत किए गए जवाब एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह पाया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की विशिष्टियों का उल्लेख नहीं किया जाकर प्रश्नात्मक एवं विवेचनात्मक प्रकृति की सूचना चाही गई है, जिसके लिए सूचना के सृजन की आवश्यकता होती है, जो सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत अनुमत नहीं है एवं इस सम्बन्ध में लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही द्वारा अपने पत्रांक पत्रांक/लो.सू.अ./रेकर्ड/2023/1591 दिनांक 06.09.2023 के द्वारा अपीलार्थी को सूचित भी कर दिया गया है। जहां तक उक्त सूचना अपीलार्थी को देरी से दिए जाने का प्रश्न है तो इस सम्बन्ध में लोक सूचना अधिकारी द्वारा निवेदन किया गया है कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन के दौरान राजस्व मंत्रालयिक कर्मचारियों की हडताल चल रही थी एवं हडताल समाप्ति के पश्चात सम्बन्धित कर्मचारी की तबियत ठीक नहीं होने से उनका देहान्त हो गया, जिससे उक्त आवेदन समय पर निष्पादित नहीं हो सका। चूंकि लोक सूचना अधिकारी द्वारा उक्त आवेदन को समय पर निष्पादित नहीं किए जाने का कारण उचित प्रतीत होने से एवं अपीलार्थी को उनके द्वारा चाही गई सूचना के सम्बन्ध में सूचित किए जाने से लोक सूचना अधिकारी कार्यालय स्तर से किसी भी प्रकार की अन्य कोई कार्यवाही/सूचना उपलब्ध करवाया जाना अपेक्षित नहीं है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज किए जाने योग्य है।

उक्त आलोक में अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति उभय पक्ष को भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 18.09.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनया गया।

(डॉ. भँवर लाल)
जिला कलक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner